राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 452/2004

महेश चन्द —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, सिंचाई विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ईएसआई स्कीम) लक्ष्मी नगर, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.05.2004
आदेश की दिनांक : 25.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन कर संशोधित अपील मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने वर्ष 1963 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से वाणिज्य वर्ग में व्यावसायिक अभ्यास, बुक कीपिंग और शॉर्टहैंड और टाइपराइटिंग (हिंदी) के साथ उच्च माध्यमिक परीक्षा द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की, जिसमें उनकी जन्मतिथि 10.07.1946 थी। अपीलार्थी ने राजस्थान विश्वविद्यालय से वर्ष 1967 में स्टेनो–टाइपिंग (हिंदी) के साथ बी.कॉम उत्तीर्ण की और दिनांक 13.01.1968 को उन्हें डिग्री प्रदान की गई (अनुलग्नक–1 एवं 2)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की कमी थी, इसलिए अपीलार्थी जो शर्तों को पूरा करता था और अपेक्षित योग्यता रखता था, उसे रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित किए जाने पर पर तदर्थ/अस्थायी आधार पर एलडीसी के पद पर सहायक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के आदेश दिनांक 27.08.1965 द्वारा नियुक्ति दी गई। सहायक निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना में उक्त आदेश दिनांक 27.08.1965 की अनुपालना में दिनांक 27.08.1965 को कार्यग्रहण

किया। उससे लगातार बिना किसी कमी के अपीलार्थी कार्यरत रहा। तत्पश्चात राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.04.1968 (अनुलग्नक–3) द्वारा उसके पद पर स्थायी कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.05.1967 द्वारा अपीलार्थी को टाइपिस्ट के पद पर स्टेनो ग्रेड–III के रिक्त पद पर स्वयं के वेतन श्रृंखला में दिनांक 18.05.1967 से नियुक्ति दे दी गई। राज्य सरकार द्वारा स्टेनों कार्य हेतु निर्धारित 25/– विशेष वेतन प्रमिमाह स्वीकृत किया गया। इसके पश्चात सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (परिवार कल्याण) के आदेश दिनांक 15.02.1968 की पालना में उपनिदेशक चिकित्सा (ईएसआई) के आदेश दिनांक 23.02.1968 द्वारा वरिष्ठ लिपिक सह स्टेनों टाइपिस्ट के पद पर अस्थाई तौर पर लगाया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 19.09.1969 द्वारा अर्जेन्ट टेम्परेरी आधार पर स्टेनोग्राफर ग्रेड II के पद पर नियुक्त किया गया (अनुलग्नक–4)। अधिसूचना दिनांक 13.12.1974 द्वारा नियम 7 (1) (7) को जोड़ा गया। जिसमें निर्धारित योग्यता रखने वाले कार्मिकों को जो दिनांक 15. 09.1972 को स्टेनोग्राफर ग्रेड II या स्टेनो टाइपिस्ट के पद पर अस्थायी या एडहोक रूप से कार्यरत है, को स्थायीकरण से नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। अपीलार्थी निर्धारित योग्यता धारित करता था। अतः आदेश दिनांक 15.01.1975 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी को स्थाई किया गया। अतिरिक्त. शासन सचिव, श्रम रोजगार विभाग द्वारा पत्र दिनांक 05.06.1975 (अनुलग्नक–6) में स्टेनो ग्रेड II के पद को स्टेनो ग्रेड–I के पद में क्रमोन्नत करने की राज्यपाल की मंजूरी से अवगत कराया गया एवं तत्काल प्रभाव से स्केल नंबर 13 में अपीलकर्ता को नियुक्ति/पदोन्नति की मंजूरी देने का निर्देश दिया। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड II का पद धारण कर रहा था। तदनुसार अपीलार्थी ने कार्यभार संभाला और अपने प्रदर्शन में कोई कमी न छोड़ते हुए निर्बाध रूप से काम करना जारी रखा। अपीलार्थी विभाग में उपलब्ध सबसे वरिष्ठ योग्य उम्मीदवार था, इस प्रकार, उसे दिनांक 10.05.1978 के आदेश के माध्यम से कार्यालय अधीक्षक ग्रेड I पर पदोन्नति दी गई और अंततः उसके पद पर आदेश दिनांक 23.06.1979 द्वारा दिनांक 14.03.1978 से पुष्टि की गई। आदेश दिनांक 23.06. 1979 द्वारा (ईएसआई योजना) द्वारा दिनांक 22.10.1986 को प्रसारित वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक–7) में, अपीलार्थी का नाम उसके पदनाम को दर्शाते हुए नंबर 1 पर रखा गया था। कार्यालय अधीक्षक की कार्मिक विभाग द्वारा आदेश दिनांक 04.06.1991 द्वारा जारी वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक–8) में अपीलार्थी का नाम संख्या 23 पर दर्शाया गया था, जिसमें कार्यालय अधीक्षक के पद पर उसकी पदोन्नति की तारीख 14.03.1978 दर्शित है। अपीलार्थी जो संस्थाई रूप से कार्यालय अधीक्षक के रूप में कार्यरत था। निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ईएसआई योजना) (प्रतिवादी संख्या 4) के

आदेश दिनांक 04.03.1994 (अनुलग्नक–9) द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने का आदेश दिया गया था। अपीलार्थी ने दिनांक 05.03.1994 को कार्यग्रहण किया, जिसके परिणामस्वरूप उनका वेतन–निर्धारण आरएसआर के नियम 26–ए के लाभ सहित वेतन श्रृंखला 2000–3200 में किया (अनुलग्नक–10)। बाद में अपीलार्थी जवाहर कला केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया जहां उन्होंने दिनांक 23.06.1994 को अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। बाद में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.07.2001 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–3 के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। जहां उसने दिनांक 12.07.2001 को ज्वाइन कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 21.02.2004 (अनुलग्नक–11) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 को सूचित किया कि अपीलार्थी दिनांक 31.05.2004 को सेवानिवृत्त होने वाला है और पत्र दिनांक 30.01.2004 के क्रम में वसूली किए बिना उन्हें No dues प्रमाण पत्र नहीं दिया जावे। दिनांक 21.02.2004 के पत्र की एक प्रति अधीक्षक द्वारा अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई थी। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30.01.2004 की प्रति कभी नहीं दी गई थी और न ही वह इस तरह के पत्र जारी होने के संबंध में कोई जानकारी थी। प्रत्यर्थी संख्या–4 का दायित्व था कि वह कम से कम सही जानकारी प्रदान करके सुनवाई का अवसर प्रदान करते। दिनांक 21.2.2004 का आदेश पूरी तरह से दुर्भावना का परिणाम है। विशेष लेखापरीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय सलाहकार, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 21.4.2004 को यू.ओ. नोट जारी किया गया था, जिसमें 10 दिनों के भीतर राजकोष में राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही निर्देश दिया गया है कि राशि स्वेच्छा से जमा नहीं कराने पर उसके वेतन से नियमानुसार वसूली की जायेगी। प्रत्यर्थी संख्या–4 के कार्यालय द्वारा भेजे गए उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी को पदोन्नति राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 16.5.1975 के आदेश के तहत दी गई मंजूरी के मद्देनजर दी गई थी, क्योंकि वह इसका हकदार था। पत्र दिनांक 26.4.2004 के अनुसरण में मुख्य अभियंता को इंजीनियर एवं टी. ए. सरकार के सचिव, विभाग. कार्मिक विभाग ने दिनांक 28.4.2004 को पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा कि ऑडिट आपत्ति के मद्देनजर देय वसूली की राशि सरकारी खजाने में क्यों जमा नहीं की गई। चूँकि विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 25.4.2004 की प्रतिलिपि पत्र के साथ कार्मिक का समर्थन/संलग्न नहीं किया गया था, इसलिए, दिनांक 6.5.2004 के अभ्यावेदन के माध्यम से पत्र दिनांक 26.04.2004 की एक प्रति की मांग की गई। अपीलार्थी ने मुख्य अभियंता को अपनी स्थिति स्पष्ट की और इस प्रकार अवगत कराया कि तुच्छ शिकायत के आधार पर, अनुचित ऑडिट रिपोर्ट केवल नाम मात्र के लिए तैयार की गई थी और अपीलार्थी की पदोन्नति और वेतन–निर्धारण को अवैध दिशा–निर्देश दिखाते हुए वसूली को प्रभावित करने के लिए तैयार की गई है। अतः

मुख्य अभियंता, राजस्थान को उचित कार्रवाई करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया। कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 28.02.1981 जारी करते समय जारी परिपत्र दिनांक 07.11.1975 के पैरा 4(2) और (ए) में मामले की जांच करने के बाद, यह देखा गया कि चूंकि बड़ी संख्या में सरकारी सेवक हैं जिनका वेतन डीओपी परिपत्र दिनांक 07.11.1975 में दिए गए तरीके से अलग तरीके से तय किया गया है। तत्काल अस्थायी/तदर्थ आधार पर अन्यथा दिनांक 07.11.1975 के आदेश में प्रदान किए गए तरीके से छूट दी जाएगी। यह परिपत्र वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.01.1981 के अनुसार जारी किया गया था।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश/पत्र दिनांक 21.02.2004, 27.03.2004, 26.04.2004 एवं 14.05.2004 को अपास्त किया जाकर वसूली आदेश को अपास्त करने एवं अपीलार्थी को दिए जा रहे वेतन भुगतान किए जाने एवं विकल्प में कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–II पर पदोन्नति एवं पारिणामिक परिलाभ का अनुतोष चाहा गया है।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि किसी एक पद पर निरंतर दो वर्ष तक विशेष वेतन प्राप्त करने पर राज0 सेवा० नियम 26 (ख) के तहत व्यक्तिगत वेतन देय होता है। अपीलार्थी ने दिनांक 18.05.1967 से 14.02.1968 तक कनिष्ठ लिपिक के पद स्टेनों टाइपिस्ट का कार्य करने पर इस पद का विशेष वेतन प्राप्त किया। इसके पश्चात् वरिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 15.02.1968 से 16.09.1969 तक टाइपिंग का कार्य करते हुए दिनांक 18.05.1967 से 18.09.1969 तक 25/–रू. प्र.मा. विशेष वेतन प्राप्त किया। उक्त दोनों पदों में से किसी भी पद पर दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए निरन्तर विशेष वेतन नहीं लिया है। अतः स्टेनो II पद पर वेतन नियतन के समय व्यक्तिगत वेतन देय नही था जो वसूली योग्य है। आदेश दिनांक 15.02.1968 द्वारा राज्य परिवार नियोजन एवं मातृ शिशु परिवार कल्याण राज० जयपुर में सृजित व० लिपिक/स्टेनोज के पद पर चयन किया गया। अपीलार्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण दिनांक 29.10.1968 द्वारा नियुक्ति आदेशों को निरस्त कर दिया। इसके बावजूद अपीलार्थी ने ईएसआई विभाग में शीघ्र लिपिक ग्रेड–III के रिक्त पद के विरूद्ध पदोन्नति लाभ दिनांक 15.02.1968 (परिवार नियोजन विभाग द्वारा व.लि. के पद पर चयन तिथि) से प्राप्त कर लिये जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी आरम्भ से ही संस्थापन अनुभाग में कार्यरत होने का एवं अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग करते रहे है। दिनांक 05.06.1975 को न तो अपीलार्थी ने क्वालिफाई एक्जाम पास किया था ना ही अपीलार्थी स्टेनो II के पद पर स्थाई नियुक्ति तिथि 13.12.1974 से 4 वर्ष का अनुभव पूर्ण करता था, न ही वरिष्ठ लिपिक कम स्टेनो टाइपिस्ट के पद पर स्थाई तिथि दिनांक 11.04.1974 से चार वर्ष अनुभव पूर्ण

करना था तथा नियमों में छूट के लिये अपीलार्थी की उम्र 45 वर्ष से अधिक भी नही थी। इसी आधार पर निदेशक, निरीक्षण विभाग ने विशेष जाचं प्रतिवेदन 83–84 के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित किया है। ''ऐसी सुरत में इन्हें पदवर्तित कर देना चाहिये था परन्तु इसके विपरीत उनका वेतन राज० सेवा नियमों के नियम 26–ए के अन्तर्गत निर्धारित कर राज्य सरकार के बजट पर अनावश्यक भार बढ़ाया गया। अतः उनसे अधिक भुगतान की पूर्ण रकम की वसूली की जा सकें।'' अपीलार्थी की कार्यालय अधीक्षक प्रथम के पद पर नियुक्ति बिना डीपीसी हुई है। अपीलार्थी को राज्य सरकार के आदेश द्वारा दिनांक 14.03.1978 से कार्यालय अधीक्षक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया एवं कार्यालय अधीक्षक के पद पर दिनांक 10.05.1978 को पदोन्नति दी गई जबकि आदेश दिनांक 23.06.1979 द्वारा दिनांक 14.03.1978 कार्यालय अधीक्षक प्रथम के पद पर स्थाई किया गया। पदोन्नति तिथि 10.05.1978 से भी पूर्व की तिथि कर्मचारी को पदोन्नति के पद नियमानुसार स्थाई हीं किया जा सकता क्योंकि अपीलार्थी दिनांक 14.03.1978 विधिवत कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नत ही नही हुआ था। इस प्रकार अपीलार्थी ने पद दुरूपयोग करते हुये तथा प्रशासन को गलत विवेचन पर पक्ष में अनुचित आदेश पारित करवायें। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी वसूली आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें निदेशालय निरीक्षण की विशेष जांच प्रतिवेदन के आधार पर वसूली की कार्यवाही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की जा रही है। प्रकरण में अपीलार्थी से उसके द्वारा लिए गए विशेष वेतन की वसूली जारी की जानी है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलार्थी से कितनी वसूली की जानी है। बहस के दौरान यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि अपीलार्थी से कितनी राशि वसूली की जानी है। यह तथ्य है कि अपीलार्थी का 30.05.2004 को प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो चुका है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि लोकसेवक सेवानिवृत्त हो गया एवं एक साल में सेवानिवृत्त होने वाला हो तो उससे वसूली अनुज्ञेय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 11527/2014 स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य बनाम रफीक मसीह में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2014 में प्रतिपादित सिद्वांत को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी से सेवानिवृति पश्चात वसूली नहीं की जा सकती है। प्रतिपादित सिद्वांत का अंश नीचे उद्धत किया जा रहा हैः–

"Recovery from employee- Payment mistakenly made in excess of entitlement-in the following situations recovery held to be impermissible:

(i) *Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).*
(ii) *Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.*
(iii) *Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.*
(iv) *Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.*
(v) *In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover.*

राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा भी इस संबंध में परिपत्र दिनांक 17.08.2016 जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों से वसूली नहीं की जा सकती है। अतः उक्त विधिक स्थिति के आलोक में अपील के गुणावगुण पर विचार किए बिना अपील अपीलार्थी इस हद तक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की जा रही वसूली कार्यवाही को अपास्त किया जाता है एवं अधिकरण द्वारा जारी अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 15.06.2004 को पुष्ट (Confirm) किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य